POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 06

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हमारे देश में गरीबों के उत्थान और विकास के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं तो खूब बनती हैं, लेकिन उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। नतीजतन, हर बार धरातल स्तर पर आवश्यक विकास का एक सुनहरा अवसर हम गंवा बैठते हैं।

केन्द्र सरकार की गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने और ग्रामीण रोजगार से जुड़ी एक बहुत ही शानदार योजना 'मनरेगा' का भी यही हश्र सामने आया है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस योजना में हुई भारी अनियमितताओं की पोल खोलते हुए कहा है कि सरकार योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई। इससे किसी भी राज्य में योजना के क्रियान्वयन में ईमानदारी नहीं बरती गई।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में मनरेगा में 13 हजार करोड़ रुपए की हुई बन्दरबांट को उजागर करते हुए कहा है कि योजना का सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

मैं, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की तहेदिल से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कैग की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करते हुए माना कि कई राज्यों में मनरेगा के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। गांव के सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने योजना को पूरी तरह से समझने में भी भूल की है। उन्होंने योजना में सिर्फ रोजगार को महत्व दिया इसे विकास कार्यों से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि वह योजना में रही कमियों को सुधारने की दिशा में काम करेंगे।

इस योजना की एक बड़ी कमी क्रियान्वयन की 'निगरानी' नहीं होना रहा है, न तो सामाजिक अंकेक्षण और न ही ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों को महत्व दिया गया। इससे पैसे की लूट हुई और ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी इसमें पूरी तरह शामिल रहे।

मिलावट की तो देना होगा जुर्माना और टांगना होगा बोर्ड

जन हित के महेनजर

पूर्व में ऐसा ही एक फैसला भीलवाड़ा जिले की एडीएम कोर्ट ने दिया था। जिसमें दो व्यापारियों पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही उन्हें अपनी-अपनी दुकानों के बाहर 2 गुना 3 फीट का बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए थे, जिन पर लिखा गया था – मैं मिलावट खोर हूं। इस फैसले को 'ग्राम गदर' के दिसम्बर, 2012 अंक में प्रकाशित किया गया था, जो एक 'नजीर' बन गया है।

डूंगरपुर जिले के मिलावट करते पकड़े गए 13 व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर लिखा होगा – 'मेरे यहां मिलावट पाई गई'

जन हित के महेनजर यह अनूठी सजा डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट (एडीएम कोर्ट) ने दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इन व्यापारियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पिछले दिनों डूंगरपुर जिले में दूध व मावे में मिलावट के 13 मामले पकड़े गए थे। इन मामलों पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट गोपालराम बिरड़ा ने सुनवाई कर व्यापारियों के खिलाफ यह अनोखा फैसला सुनाया है। एडीएम ने आदेश दिया है कि व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकान के आगे 'मेरे यहां मिलावट पाई गई' के बोर्ड टांगने होंगे। इससे दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी उनके द्वारा मिलावटी सामान बेचने की जानकारी हो सके। एडीएम ने सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

खेत पर बिजली कनेक्शन देने में देरी करना भारी पड़ा

भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के गांव जोजवा निवासी किसान किशन लाल पुत्र देवराज शर्मा ने विद्युत वितरण निगम के खिलाफ उपभोक्ता मंच मे परिवाद दायर किया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने 26 जून, 2008 को विद्युत निगम कार्यालय में अपने खेत पर बिजली कनेक्शन देने के लिए आवेदन किया था। बिजली निगम ने 27 जून, 2011 को 12 हजार 650 रुपए का डिमांड नोट जारी किया।

उन्होंने यह राशि उसी समय निगम कार्यालय में जमा करा दी। बावजूद इसके, उनके खेत पर बिजली कनेक्शन नहीं लगाया गया। इस कारण वह खेत में खरीफ और रबी की फसल पैदा नहीं कर सका। निगम कार्यालय के काफी चक्कर लगाने और करीब 14 महीने बीतने के बाद उसके खेत पर बिजली कनेक्शन लगाया गया।

मामले की सुनवाई पर मंच ने मांडलगढ़ कार्यालय के एईएन को डिमांड राशि जमा होने के बावजूद समय पर कृषि कनेक्शन नहीं देने का दोषी माना। मंच ने विद्युत वितरण निगम को आदेश दिया कि वह किशन लाल को 10 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति व परिवाद खर्च के अदा करे। निगम यह राशि दोषी एईएन के वेतन से वसूल सकता है।

यूं किया खेल

- *अपात्र होते हुए भी नाम जोड़ कर ग्राम सहकारी समितियों ने क्लेम लिया।*
- *फर्जी नामों से क्लेम लिया।*
- *पात्र किसानों के ऋण माफ नहीं कर उनसे पूरा ऋण वसूला।*
- *बड़े किसानों को भी छोटे किसानों के रूप में लाभ दिलाया।*

बैंकों ने डकारे किसानों के 150 करोड़

राजस्थान के कई सहकारी बैंकों ने केन्द्र सरकार की किसानों के लिए लागू की गई कर्ज माफी योजना के तहत जमकर पैसा डकारा। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस घोटाले का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद नाबार्ड ने बैंकों को कर्जदार किसानों के सत्यापन सम्बंधी जांच के आदेश दिए हैं।

जांच में सामने आया कि सहकारी बैंकिंग संस्थाओं ने ऐसे किसानों के नामों पर भी कर्ज दे रखा था, जो कहीं नहीं हैं। बहुत से अपात्र किसानों को भी कर्ज दे रखा था। जब उनके नाम से ऋण माफी की रकम खाते में पहुंची, तो संस्थाओं ने वह रकम हजम कर ली। राजस्थान में यह घोटाला करीब 150 करोड़ रुपए का होने की संभावना है।

मनरेगा योजना की कैग ने खोली पोल

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा में पैसे की लूट और मनमाने उपयोग के साथ-साथ बरती गई भारी अनियमितताओं का खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है इस योजना में 13 हजार करोड़ रुपए की बन्दरबांट हुई और इसका लाभ भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

कैग ने 14 राज्यों में की गई ऑडिट के दौरान पाया कि सवा चार लाख जॉब कार्डों में फोटो नहीं थे, यानि वे फर्जी थे। योजना में 1.26 लाख करोड़ रुपए के129 लाख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इनमें से सिर्फ 30 फीसदी में ही काम हुआ।

ऑडिट में यह भी सामने आया कि 2,252 करोड़ रुपए ऐसे कामों के लिए आंवटित कर दिए गए जो नियम के मुताबिक मनरेगा के तहत नहीं आते। रिपोर्ट में सामग्री में अधिक खर्च, ऑडिट इकाइयों का गठन नहीं करने, कम भुगतान करने, रिकॉर्ड नहीं मिलने जैसी अनेक कमियों का खुलासा करते हुए कई सुझाव भी दिए गए हैं।

गांवों तक मुफ्त जांच का फायदा

प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के दूसरे चरण में 400 से भी ज्यादा अस्पताल शामिल होंगे। इस चरण में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण लोगों को निशुल्क जांच का असली फायदा इसी चरण में मिलेगा।

इस चरण में सीएचसी में 28 तरह की जांचें मुफ्त करने की तैयारी है। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक खून की अधिकांश जांचों के अलावा एक्स-रे व इसीजी भी मुफ्त होगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में करीब 430 सीएचसी हैं। इस योजना को लागू करने में विभाग को अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी।

ग्रामीण परिवारों को मुफ्त सीएफएल

प्रदेशभर के ग्रामीण इलाकों में इस महीने से मुफ्त सीएफएल का वितरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की बचत का संदेश देते हुए इस साल के बजट में ग्रामीण उपभोक्ताओं को दो-दो सीएफएल बांटने की घोषणा की थी। इस घोषणा की पालना में बिजली वितरण कंपनियों ने 50 लाख परिवारों को सीएफएल बांटने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन परिवारों के लिए करीब एक करोड़ सीएफएल खरीदी जानी है।

बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों ने बल्ब निर्माता कंपनियों से सीएफएल आपूर्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी महीने की शुरुआत में आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी।

'आधार' होगा गरीबी निवारण में सहायक

विश्व बैंक का मानना है कि भारत में सामाजिक कल्याण के लिए आधार कार्ड तकनीक काफी उपयोगी साबित होगी। इससे गरीबों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं के पूरे लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्दन नीलेकणी द्वारा वाशिंगटन में विश्व बैंक के एक कार्यदल के दौरान इस योजना को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विश्व बैंक के अध्यक्ष जिमयोंग किम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आधार योजना के बड़े पैमाने पर किए जा रहे क्रियान्वयन से भारत 2030 तक गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयास में अवश्य सफल हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि आधार योजना का वित्तीय सेवाओं में समन्वित उपयोग किए जाने की जरूरत है। योजना के क्रियान्वयन में विश्व बैंक अपना पूरा सहयोग देगा।

किसानों की मदद करेंगे सेवा केन्द्र

राज्य में नाबार्ड के सहयोग से प्रथम चरण में 295 करोड़ रुपए की लागत से 3000 ग्राम पंचायतों एवं सभी 249 पंचायत समितियों में किसान सेवा केन्द्र बनाए जाने का काम प्रगति पर है। दूसरे चरण में 210 करोड़ रुपए की लागत से 2000 अतिरिक्त ग्राम मुख्यालयों पर सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

इस तरह पूरे प्रदेश में 5000 किसान सेवा केन्द्र विकसित हो जाएंगे। इन केन्द्रों पर सह ज्ञान केन्द्र भी संचालित किए जाएंगे। केन्द्र पर किसानों को खेती-बाड़ी से सम्बन्धित सभी जानकारियां प्रदान करने की व्यवस्था होगी। यहां क्षेत्र के किसान भाई आपस में बैठ कर कृषि से सम्बन्धित चर्चा कर सकेंगे।

पंचायतों को मजबूत बनाने की आवश्यकता

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से यह कोशिश करनी चाहिए कि पंचायती राज केवल नाम बन कर न रहे, बल्कि यह जीवन की सच्चाई बने।

उन्होंने कहा कि पंचायत का मकसद प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना है, ताकि लोगों को अपना प्रशासन खुद चलाने का अधिकार मिल सके। केन्द्र इसके लिए राज्य सरकारों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के लिए 6,437 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

पूरे समय खुले उपभोक्ता मंच

राज्य सरकार सुशासन की बात करती है। लेकिन स्टाफ व धन के अभाव में ज्यादातर उपभोक्ता क्लब मृतप्राय पड़े हैं। जिला रसद अधिकारी शुद्ध के लिए युद्ध एवं मिलावट तथा बाट-माप कानून के उल्लंघन मामलों की जांच में लगे मात्र एक दो अधिकारी पूरे जिले का कार्य नहीं देख पा रहे।

इनके पद सरकार शीघ्र भर सकती है, पर ऐसा नहीं हो रहा। उपभोक्ता मंच 10 बजे से 5 बजे तक कार्यरत नहीं रहते। मंच अध्यक्षों व सदस्यों के वेतन भत्तों पर जितना भारी भरकम खर्च किया जा रहा है, वास्तव में उतना कार्य नहीं हो रहा है।

- डॉ. के.एम. शर्मा, एडवोकेट, पाली

विधायक लगवा सकेगा 100 हैंडपम्प

गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैंडपम्प खराब पड़े हैं या सूख गए हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण महिलाएं कई किलोमीटर की दूरी से सिर पर पानी ढोकर लाती हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोगों का जीवन महज एक कुएं पर टिका है।

इस साल के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 20 हजार हैंडपम्प लगाने की घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति विधायकों के माध्यम से की जा रही है। हर विधायक को इस साल अपने निर्वाचन क्षेत्र में 100-100 हैंडपम्प लगाने का अधिकार दिया गया है।

स्वयं सहायता समूहों को सस्ता कर्ज

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ता कर्ज देगी। सरकार यह कर्ज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उपलब्ध कराएगी।

समूह अधिकतम तीन लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेगा। इस कर्ज से समूह की महिलाएं स्वयं का व्यवसाय चालू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस रकम पर सालाना सात फीसदी की दर से ब्याज लगेगा। देश में ऐसे 25 लाख से अधिक समूह हैं। सरकार शुरू में 150 पिछड़े जिलों में यह योजना लागू करेगी।

सालवा कलां गांव का सपना

जोधपुर शहर से 45 कि.मी.दूर है सालवा कलां गांव। इस गांव में मंदिर तो है, लेकिन स्कूल नहीं है। गांव वालों ने ही अब मंदिर में स्कूल चालू कर दिया है। यहां कई बच्चों के साथ उनके दादा और पिता भी पढ़ने के लिए बस्ता लेकर साथ आते हैं।

सपना एक ही है, पूरे गांव को साक्षर बनाना। पहले यह एक शिक्षा मित्र केन्द्र था, लेकिन सरकार ने इसे बन्द कर दिया था। ग्रामीण खुद इसे अब चन्दे से चला रहे हैं। इसमें 50 ढाणियों के 60 बच्चे पढ़ते हैं। केन्द्र में पढ़ाने वाले शिक्षक एमए.बीएड हैं। वह कोई वेतन भी नहीं लेते।

विधुर पिता के बच्चों को भी सहायता

प्रदेश में अब पालनहार योजना के तहत विधुर पिता के एक से अधिक बच्चों को भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन महाअभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विधवा, वृद्धावस्था, परित्यक्ता व विशेष योग्यजन पेंशन के लाभार्थियों के जीवित होने का भौतिक सत्यापन करने का दायित्व अब सम्बन्धित पटवारी एवं ग्रामसचिव का होगा।

कम्पोजिंग एवं ले-आउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कदम', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485